भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1831
बुधवार, 7 अगस्त, 2024 (श्रावण 16, 1946, (शक)) को उत्तरार्थ

नई प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों का गठन

1831 # श्री आदित्य प्रसादः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय नई प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों के गठन के लिए कोई कदम उठा रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इससे सीमांत मछुआरों की आय बढ़ाने में किस प्रकार सहायता मिलेगी?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सरकार ने दिनांक 15.02.2023 को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जिसमें मत्स्य पालन विभाग की निम्नलिखित योजनाएं भी शामिल हैं, के अभिसरण से अगले पांच वर्षों में देश में कवर न किए गए पंचायत/गांव में नई बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/ मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना करके देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक अपनी पहुंच को मजबूत करने की योजना को मंजूरी दे दी है:

(i) **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) -** पीएमएमएसवाई का उद्देश्य मछली उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, मत्स्य संग्रहण के पश्चात की अवसंरचना व प्रबंधन, आधुनिकीकरण और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने में क्रिटिकल गैप को दूर करना है। इस योजना के तहत, लाभार्थी कुल परियोजना लागत / यूनिट लागत के 40% से 60% तक की वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

(ii) **मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना कोष (एफआईडीएफ) -** एफआईडीएफ का उद्देश्य दोनों, समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण करना है। इस योजना के तहत बर्फ संयंत्रों का निर्माण, शीतगृहों का विकास, मत्स्य परिवहन और शीत श्रृंखला नेटवर्क अवसंरचना, ब्रूड बैंकों की स्थापना, हैचरी, मछली प्रसंस्करण इकाइयों, मछली चारा मिलों/संयंत्रों का विकास और आधुनिक मछली बाजारों का विकास करना शामिल है। एफआईडीएफ के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स उपर्युक्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए 3% प्रति वर्ष की ब्याज सबवेंशन के लिए पात्र हैं।

मात्स्यिकी सहकारी समितियों तथा अन्य सहकारी समितियों सहित नई प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना की यह योजना एनसीडीसी द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों और राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ने 910 प्राथमिक मात्स्यिकी सहकारी समितियों को किसान मत्स्य उत्पादक संघों (FPPOs) के रूप में तटीय राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा में चयनित किया है और सहकारिता के क्षेत्र में 70 नए FPPOs पंजीकृत किए गये हैं। NCDC द्वारा महाराष्ट्र सरकार और गुजरात में सहकारी समिति को 44 गहरे समुद्री ट्रालरों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई है ।

यह योजना मछली उत्पादन में लगे सीमांत मछुआरों सहित छोटे और सीमांत किसानों को अपेक्षित फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज, कौशल विकास, प्रसंस्करण और कोल्ड चेन बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें अपनी आय बढ़ाने में सक्षम बनाएगी। अभिसरण के लिए चिह्नित योजनाओं का लाभ उठाकर सीमांत मछुआरे विभिन्न मात्स्यिकी और जलकृषि संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का आधुनिकीकरण/उन्नयन और स्थापना करने में सक्षम होंगे, जिससे उन्हें अपनी उत्पादकता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

*****